

श्रीवादी/प्रार्थी-

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

जामनारायण S/o राजनारायण
कलेक्टर वि० जुजामाल
तहसील बीनमाल

जामनारायण S/o नव्यानी
कालवी वि० जुजामाल
तहसील बीनमाल जयपुर (R)

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / नंबर-...../20

हालका 2 विषयका 13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
5/10/15	<p>..... की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारा बाबत विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख 3/11/2015 को पेश हो।</p> <p>3/11/15 श्रीवादी का अधिवक्ता S/o द्वारा की तामील पाली द्वारा श्रीवादी लाल पर्याप्त है व काल काईवी रूप में नहीं हुआ है। श्रीवादी म० का कृक कृक प्रतीति वार काल काल रूप स्थापक दिनांक 23/11/2015 को पेश किया गया है। श्रीवादी म० का कृक कृक पर्याप्त कार्यवाही कमल माला जाली लाल श्रीवादी म० तहसील जयपुर तहसील कावजू इतना माला काल गैरतारीखी कि काल वार जयपुर श्रीवादी म० का पेश हो।</p>	<p>128 5/10/15</p>

सहायक कलेक्टर
बीनमाल

सहायक कलेक्टर
बीनमाल

15/2/18

बहुलाय पर्यवेन हाजीर।

अपार्थीगण को जपाइ दे पचापत

अवसर दिया गया जि भी जपाव

पेशान ही किया ~~अवः अपार्थी के~~

अपाव बन्द किया जाता है मिमने

में बरहसते इस्तुकुशापा बरस सुनी

प्रकार का अवलोकन किया गया बाद

जात आराजी मौजा अजाजा के

कम 345 व 346 कुल रकम

1.60 हके अपार्थीगण के विरुद्ध

अस्थाडे निषेधाइ निषेधीकरण

हेतु पार्थी द्वारा पार्थी पत्र प्रस्तुत

किया। कम 345 व 346 रकम

कमरा: 0.01 है, 1.59 है वर्तमान
में प्रार्थी की शवादेशी है तथा
अप्रार्थीगण की अनुप्रा से 10000
344 रकबा 0.56 है की शवादेशी
राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है ऐसी स्थिति
में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र का
आधिकारी नहीं पाया जाता है।

अतः न्यायालय हाजा के समझ
एकमुखा विचारधीन है जो
साक्ष्य दस्तावेज एवं उन की याद
पत्र-चात सिद्धि समूह नियत
किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति
प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फंसल नुमांर होकर
नम्बर ले कम हो।

सहायक कलेक्टर
धीरमाल